न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता , बुण्डू (राँची)
RM वाद संख्या–37/11–12
छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46

8/2/12

आदेश

विक्रेता का नाम एवं पता – सुखराम सिह मुण्डा पिता–स्व0 लाला सिंह मुण्डा ग्राम–बुरूडीह ,पो0–अमलेशा ,थाना–तमाड़ , जिला–राँची।

क्रेता का नाम एवं पता– पुष्कर सिंह मुण्डा ,पिता–स्व0 लखन सिंह मुण्डा ग्राम–बुरूडीह ,पो0–अमलेशा ,थाना–तमाड़ , जिला–राँची।

विद्वान अधिवक्ता का नाम– श्री मनोज कुमार चौधरी।

विक्रेता ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक–30/09/11 को क्रेता पुष्कर सिंह मुण्डा ,पिता–स्व0 लखन सिंह मुण्डा के हाथों निम्नलिखित भूमि की बिक्री की अनुमति माँगी है।

भूमि का विवरण

मौजा	थाना	थाना नं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा
बुरूडीह	तमाड़	234	90	374	0.33ए0

उक्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी , तमाड़ से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई । साथ ही साथ सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम इस्तेहार भी निर्गत किया गया।

अंचल अधिकारी , तमाड़ के पत्रांक–750(II) दिनांक–10/12/11 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। (अभिलेख के साथ संलग्न) जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि :–

(क) प्रस्तावित जमीन के खतियानी रैयत का नाम लाला सिंह मुण्डा वल्द लखन सिंह मुण्डा है। पंजी–।। के अनुसार रैयत का नाम सुखराम सिंह मुण्डा वल्द लाला सिंह दर्ज है।

(ख) उपरोक्त भूमि के विक्रय के उपरांत आवेदक के पास 2.90 एकड़ भूमि शेष बच जाती है।

(ग) आवेदक को लड़की की शादी करानी है जिसमें रूपयों की आवश्यकता है। वह अपनी जमीन कुल 800/–(आठ सौ रू0) प्रति डिसमील की दर से कुल 19,200/–(उन्नीस हजार दो सौ रू0) रूपये में बिक्री करना चाहते हैं।

(घ) दोनों क्रेता एवं विक्रेता अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। एवं एक ही थाना क्षेत्र तमाड़ के निवासी हैं।

उपरोक्त प्रतिवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी ,तमाड़ ने छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के तहत विक्रेता सुखराम सिह मुण्डा पिता–स्व0 लाला सिंह मुण्डा ,ग्राम–बुरूडीह ,पो0–अमलेशा ,थाना–तमाड़ ,जिला–राँची को क्रेता पुष्कर सिंह मुण्डा ,पिता–स्व0 लखन सिंह मुण्डा ग्राम–बुरूडीह ,पो0–अमलेशा ,थाना–तमाड़ ,जिला–राँची के हाथों प्रस्तावित भूमि के विक्रय करने की अनुमति देने की अनुशंसा की है।

न्यायालय के द्वारा दिनांक–30/09/11 को निर्गत आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। आज तक किसी भी व्यक्ति ने कोई आपत्ति दायर नहीं की है।

पुनः दिनांक–6/02/12 को विक्रेता एवं क्रेता का बयान न्यायालय में दर्ज किया गया। दिए गए बयान से स्पष्ट है कि प्रस्तावित भूमि की बिक्री विक्रेता के द्वारा ईलाज हेतु किया जाना है।

अतः अंचल अधिकारी ,तमाड़ की अनुशंसा एवं विक्रेता के बयान के आलोक में निम्नलिखित भूमि को विक्रेता सुखराम सिह मुण्डा पिता–स्व0 लाला सिंह मुण्डा ,ग्राम–बुरूडीह ,पो0–अमलेशा ,थाना–तमाड़ ,जिला–राँची को क्रेता पुष्कर सिंह मुण्डा ,पिता–स्व0 लखन सिंह मुण्डा ग्राम–बुरूडीह ,पो0–अमलेशा ,थाना–तमाड़ ,जिला–राँची के हाथों बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के तहत दी जाती है। आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित भूमि की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम पर नहीं करेंगे।

<u>भूमि का वितरण</u>

मौजा	थाना	थाना नं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा
बुरूडीह	तमाड़	234	90	374	0.33ए0

लेखापति एवं संशोधित

8/2/12

भूमि सुधार उप समाहर्ता ,
बुण्डू राँची।

8/2/12

भूमि सुधार उप समाहर्ता ,
बुण्डू राँची।

Digitally signed by Ajay Kumar Saw
Date: 2022.07.22 16:37:13 +05:30
Location: 192.168.225.27